

1	विभाग—	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	शिशु हितलाभ योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	पंजीकृत कर्मकारों लाभार्थी के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराये जाने हेतु अनुदान दिया जाना है। लाभार्थी को हितलाभ एक वर्ष में एक बार एकमुश्त दिया जायेगा, शिशु लड़का होने की स्थिति में धनराशि रु 12000 प्रतिशिशु की दर से देय होगा किन्तु यदि शिशु लड़की है तो यह धनराशि रु 15000 वर्ष में एक बार प्रतिशिशु की दर से देय होगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में एक बार एक मुश्त देय धनराशि रु 12000 या रु 15000 (जैसी भी स्थिति हो) प्रति शिशु की दर से शिशु की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगी।
4	पात्रता की अर्हता—	पंजीकृत कर्मकारों को प्रथम 02 बच्चों तक दो वर्षों तक देय। द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर दोनों जुड़वा बच्चों को हितलाभ देय होगा भले ही कुल बच्चों की संख्या तीन हो जाये।
5	आवेदन की प्रक्रिया—	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।